



अंत्योदय-सरल



भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड
निशक्तता पेंशन-हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड (योजना)

पात्रता :

1. पंजीकृत कर्मकार की नियमित सदस्यता कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए।
2. आवेदक हरियाणा सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम से निशक्तता पेंशन नहीं लेता हो।

उपलब्ध करवाये जाने लाभ :

1. रू0 3000/- प्रति मास

आवश्यक दस्तावेज :

1. निशक्तता प्रमाण-पत्र
2. पहचान/नागरिकता का सबूत : आधार कार्ड

सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
आजीवन में एक बार पंजीकरण फीस रू0 25/- और रू0 5/- प्रति मास (रू0 60/- प्रतिवर्ष) अंशदान फीस के रूप में लाभार्थी द्वारा बोर्ड को भुगतान की जाएगी।	रू0 10/-	रू0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा 90 दिन